कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**M/s SANSON INDIA PRIVATE LIMITED, D-9, Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, Jhandewalan, DELHI-110055**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**38 / 12, 11.07.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री निशान्त मिश्रा, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

M/s SANSON INDIA PRIVATE LIMITED, D-9, Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, Jhandewalan, DELHI-110055 द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसमें Toffees, Candies, Lollypops पर कर की देयता पूछा गयी है।

2. फर्म की ओर से श्री निशान्त मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Toffees, Candies, Lollypops का निर्माण व बिक्री करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना बनायी जा रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए रेट ऑफ टैक्स की जानकारी चाहते हैं। यह भी कहा गया कि मेरे द्वारा निर्माण की जाने वाली Toffees, Candies, Lollypops में शुगर 55 से 70%, लिक्विड ग्लूकोज 25 से 40% तथा कलर ऐसेन्स फैट प्रोटीन 2 से 5% तक रहेगा जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-137 के अन्तर्गत शुगर प्रोडक्ट की श्रेणी में आता है। सर्वश्री यू0 पी0 बिस्कुट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, 122 / 719 प्रभु आस्था फेस-111 शास्त्री नगर, कानपुर के धारा-59 के निर्णय दिनांक 30.06.2008 में यह निर्णीत किया गया है कि ऐसे शुगर प्रोडक्ट Toffees, Candies, Lollypops जिनमें शुगर 70%, लिक्विड ग्लूकोज 25% व एसेन्स तथा कलर पर 5% है, ही शुगर प्रोडक्ट है इससे भिन्न अनुपात में करदेयता 12.5% की दर से मानी गयी है। चूँकि मेरे द्वारा शुगर, लिक्विड ग्लूकोज व एसेन्स तथा कलर का प्रतिशत इस मामले में निर्धारित मानक से भिन्न होगा इसलिए कर दायित्व पूछने की आवश्यकता हुई। अन्त में प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो अर्थात वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में person or dealer concerned न हो। चूँकि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं जो person or dealer concerned नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

4. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा विधिक राय देते हुए यह कहा कि

.....2

प्रस्तुत कर्ता अधिकारी का यह मत सही है तथा प्रार्थी person और dealer concerned की श्रेणी में नहीं आते हैं।

5. मेरे द्वारा प्रार्थी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत निम्न प्रकार से व्यवस्था दी गयी है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

इस प्राविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो अर्थात उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में person or dealer concerned की श्रेणी में न आता हो। प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर किसी प्रकार से यथा-पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत person or dealer concerned नहीं है और इस अधिनियम के अधीन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अत: प्रार्थी का धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 25 सितम्बर, 2012

ह0 / 25.09.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।